न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 71/2022 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2022/79

मोहम्मद सहजाद खान पुत्र श्री हक्मुद्दीन निवासीः हुसैका, तहसील–पहाड़ी, जिला–भरतपुर हाल निवासीः पटवारी गोटीपा, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. मीठालाल पुत्र श्री सवलाल निवासीः खेमपुर, तहसील–मावली, उदयपुर

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार वल्लभनगर प्रकरण संख्या 1225/2019 ना.क.
दिनांक 04.02.2020

उपस्थित : श्री सुखलाल मेघवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार
श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः– 22/12/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 1225/2019 आदेश दिनांक 04.02.2022 से नाराज होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने राजकीय सेवक पटवारी खेमपुर होने के नाते राजस्व ग्राम–खेमपुर में स्थित आराजी संख्या–432 रकबा आधा बिस्वा भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या–2 का अनाधिकृत कब्जा होने की रिपोर्ट उपतहसीलदार जी सनवाड़ को की। जिस पर उपतहसीलदार जी सनवाड़ के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 को धारा–91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध का नोटिस जारी किये। जिसके प्रकरण संख्या–442/2019 थे। प्रत्यर्थी संख्या–2 उपतहसीलदार से असंतुष्ट होने से माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर पत्रावली को तहसीलदार वल्लभनगर के यहाँ स्थानांतरित करवाई। तहसीलदार वल्लभनगर के द्वारा दिनांक 05.12.2019 को प्रकरण दर्ज कर प्रत्यर्थी संख्या–2 को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की। प्रत्यर्थी संख्या–2 के

जिला कलक्टर
उदयपुर

द्वारा कोई जवाब खण्डन करने वाला प्रस्तुत नहीं किया। बल्कि उपखण्ड अधिकारी–मावली के समक्ष अन्य आराजी जो उसके खातेदारी की हैं, उसकी रिपोर्ट तहसीलदार जी के यहाँ प्रस्तुत की। तहसीलदार वल्लभनगर के द्वारा अपने स्तर पर बिना जाँच कराये अन्य पत्रावली की रिपोर्ट पर आधारित होकर प्रत्यर्थी संख्या–2 का रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण नहीं माना। जबकि इस मामलें में प्रत्यर्थी संख्या–2 के आक्षेप पर भू–अभिलेख निरीक्षक–फतेहनगर के द्वारा दिनांक 08.04.2019 को मौके पर जाकर जॉच कर यह पाया कि किया गया अतिक्रमण रास्ते की भूमि आराजी संख्या 432 में ही हैं। उक्त रिपोर्ट के विरूद्ध में प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा कोई आक्षेप नहीं लगाये। मुझ अपीलार्थी से प्रत्यर्थी संख्या–2 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर स्पष्टीकरण मांगा था। जिसका बिन्दूवार जवाब दिनांक 12.04.2019 को प्रस्तुत किया। जिसका कोई खण्डन प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से नहीं किया गया। विद्वान अधीनस्थ तहसीलदार के द्वारा जाँच रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक व स्पष्टीकरण मुझ अपीलार्थी के द्वारा दिये थे। उस पर बिना विचार विमर्श किये आदेश पारित किया। जो विधि एवं तथ्यों के विपरित होकर अपास्त होने योग्य हैं। विद्वान अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अन्य पत्रावली न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली के प्रकरण संख्या 23/2019 रे.वाद व प्रार्थना पत्र 15/2019 में प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो निजी तौर पर तैयार करायी थी। उस पर आधारित होकर आराजी संख्या 464 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि के संदर्भ में तैयार की थी। जिस पर आधारित होकर आदेश किया जो विधि एवं तथ्यों के आधार पर गलत हैं। जबकि अतिक्रमण वाली भूमि आराजी संख्या 432 के संदर्भ में पूर्व में जॉच रिपोर्ट को खण्डन करने वाली कोई रिपोर्ट नहीं हैं। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की जानकारी दिनांक 07.11.2022 को हुई। जानकारी की दिनांक 07.11.2022 से अपील के लिये अवधि शुरू होती हैं। किन्तु वर्तमान में अपीलार्थी पटवार मण्डल गोटीपा में सेवारत होकर उन्हे पटवार मण्डल–वल्लभनगर, तारावट, धमाणिया, बालाथल, मैनार का अतिरिक्त कार्यभार सौप रखा हैं। जिससे उन्हे तहसील से छुट्टी नहीं मिली। जिससे अपील प्रस्तुत नहीं हो सकी। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम–खेमपुर में स्थित आराजी संख्या–432 रकबा आधा बिस्वा भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या–2 का अनाधिकृत कब्जा होने की रिपोर्ट उपतहसीलदार जी सनवाड़ को की। जिस पर उपतहसीलदार जी सनवाड़ के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 को धारा–91 राजस्थान भू–राजस्व

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध का नोटिस जारी किये। जिसके प्रकरण संख्या–442/2019 थे। प्रत्यर्थी संख्या–2 उपतहसीलदार से असंतुष्ट होने से माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर पत्रावली को तहसीलदार वल्लभनगर के यहाँ स्थानांतरित करवाई। तहसीलदार वल्लभनगर के द्वारा दिनांक 05.12.2019 को प्रकरण दर्ज कर प्रत्यर्थी संख्या–2 को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की। प्रत्यर्थी संख्या–2 के द्वारा कोई जवाब खण्डन करने वाला प्रस्तुत नहीं किया। बल्कि उपखंण्ड अधिकारी–मावली के समक्ष अन्य आरांजी जो उसके खातेदारी की हैं, उसकी रिपोर्ट तहसीलदार जी के यहाँ प्रस्तुत की। तहसीलदार वल्लभनगर के द्वारा अपने स्तर पर बिना जाँच कराये अन्य पत्रावली की रिपोर्ट पर आधारित होकर प्रत्यर्थी संख्या–2 का रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण नहीं माना। जबकि इस मामलें में प्रत्यर्थी संख्या–2 के आक्षेप पर भू–अभिलेख निरीक्षक–फतेहनगर के द्वारा दिनांक 08.04.2019 को मौके पर जाकर जॉच कर यह पाया कि किया गया अतिक्रमण रास्ते की भूमि आराजी संख्या 432 में ही हैं। उक्त रिपोर्ट के विरूद्ध में प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा कोई आक्षेप नहीं लगाये। मुझ अपीलार्थी से प्रत्यर्थी संख्या–2 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर स्पष्टीकरण मांगा था। जिसका बिन्दूवार जवाब दिनांक 12.04.2019 को प्रस्तुत किया। जिसका कोई खण्डन प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से नहीं किया गया। विद्वान अधीनस्थ तहसीलदार के द्वारा जाँच रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक व स्पष्टीकरण मुझ अपीलार्थी के द्वारा दिये थे। उस पर बिना विचार विमर्श किये आदेश पारित किया। जो विधि एवं तथ्यों के विपरित होकर अपास्त होने योग्य हैं। विद्वान अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अन्य पत्रावली न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली के प्रकरण संख्या 23/2019 रे.वाद व प्रार्थना पत्र 15/2019 में प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो निजी तौर पर तैयार करायी थी। उस पर आधारित होकर आराजी संख्या 464 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि के संदर्भ में तैयार की थी। जिस पर आधारित होकर आदेश किया जो विधि एवं तथ्यों के आधार पर गलत हैं। जबकि अतिक्रमण वाली भूमि आराजी संख्या 432 के संदर्भ में पूर्व में जॉच रिपोर्ट को खण्डन करने वाली कोई रिपोर्ट नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खेमपुर तहसील मावली के आराजी संख्या 432 रकबा 0.01 बीघा(आधा बिस्वा) किस्म पाल पर अतिक्रमण होने से पटवारी हल्का खेमपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण न्यायालय उपतहसीलदार सनवाड़ में दर्ज हुआ। विपक्षी मीठालाल द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई उपतहसीलदार सनवाड़ से अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय आप में प्रस्तुत किया जिस पर आप न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2019 से विपक्षी मीठालाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार वल्लभनगर के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। दिनांक 06.08.2019 को

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर मावली में धारा 188 के प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा आराजी संख्या 464 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें आराजी संख्या 432 किस्म रास्ता राजस्व नक्शे में 2.5 गट्टे (औसत) मौके पर मौजूद होकर बाधित नहीं है, का अंकन किया। इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को गलत बताते हुए अतिक्रमण नहीं माना है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के आदेश दिनांक 04.02.2020 से किस प्रकार प्रभावित है, यह स्पष्ट नहीं है। अतः अपील खारिज करने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा आराजी संख्या 432 रकबा आधा बिस्वा भूमि पर मुझ प्रत्यर्थी का कब्जा होने की मिथ्या रिपोर्ट बनाई गई थी जबकि वास्तविकता तो यह है कि मुझ प्रत्यर्थी संख्या 2 की मौजा खेमपुर में स्थित आराजी नम्बर 464 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में खेमपुर से लदानी जाने का रास्ता बना हुआ है जो रास्ता करीब 18 से 22 फीट चौड़ाई में मौके पर मौजुद हैं जबकि राजस्व नक्शे में 12 से 13 फीट चौड़ाई में ही दर्ज है। मुझ प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपनी खातेदारी की कुछ भूमि को रास्ते की तरफ छोड़ने के बाद अपनी खातेदारी की जमीन पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण करा आवागमन करने के लिये लौहे की दो फाटके लगवाई है और अपनी कृषि भूमि सीमा के अन्दर ही एक पानी का ट्यूबवेल भी खुदवा रखा है जिनका मैं प्रत्यर्थी संख्या 2 निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ। लेकिन अपीलार्थी ने गैरकानुनी तरीके से राजनैतिक दबाव एवं प्रभाव में आकर बिना किसी आधार से मुझ प्रत्यर्थी संख्या 2 को नुकसान पहुँचाने एवं जलील परेशान करने की बदनियति से मुझ प्रत्यर्थी संख्या 2 को बिना लिखित सुचना दिये कृषि भूमि में अनाधिकार रूप से प्रवेश कर मेरी कृषि भूमि को रास्ते की जमीन में मिलाने के कुप्रयास से कथित अनाधिकृत कब्जे की रिपोर्ट तैयार कर दी हैं और इसे आधार मानकर उप तहसीलदार सनवाड़ द्वारा मुझ प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। उक्त कार्यवाही गलत तरीके से की गई जिससे निष्पक्ष न्याय के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की पत्रावली को अन्यत्र सुनवाई हेतु ट्रान्सफर किये जाने हेतु आप श्रीमान् के समक्ष आवेदन किया जिस पर आप श्रीमान् के आदेशानुसार उक्त पत्रावली तहसीलदार वल्लभनगर के कार्यालय में ट्रान्सफर की गई। मुझ प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उक्त मामले में आवश्यक सभी कार्यवाही की और अपनी कृषि भूमि की सुरक्षार्थ उपखण्ड अधिकारी मावली के समक्ष एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अपीलार्थी एवं अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जो वाद उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा मुझ प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में एवं अपीलार्थी व अन्य के विरूद्ध निर्णित कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। जो आज भी प्रभावी हैं। तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा उपलब्ध रिकोर्ड

जिला कलक्टर
उदयपुर

एवं साक्ष्य के आधार पर उक्त बेदखली की कार्यवाही को गलत माना और बेदखली की कार्यवाही को निरस्त किया गया हैं। अपीलार्थी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा फर्दन–फर्दन जो रिपोर्ट अतिक्रमण के संबंध में बनाई गई वह मनमाने ढंग से राजनितिक दबाव एवं प्रभाव में तैयार की गई थी। जबकि वास्तव में मौके पर मेरे द्वारा कभी भी रास्ते की भूमि पर किसी भी रूप में अतिक्रमण नही किया गया था, न ही वर्तमान में अतिक्रमण हैं बल्कि मैने रास्ते की तरफ अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को छोड़कर बाउण्ड्रीवाल निर्मित करवाई थी जिससे मेरी कृषि भूमि के वहां पर रास्ते की चौड़ाई 18 से 22 फीट के करीबन है जिससे हर आम एवं खास सुगमता पूर्वक अपने साधनो एवं वाहनों से आवागमन करते आ रहे है। फिर भी मुझको नुकसान पहुंचाने की नियत से उक्त कृत्य किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.04.2019 को जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वह मौका देखे बिना एवं मौके पर जाये बगैर ही अपने कार्यालय पर बैठे–बैठे ही मौके की रिपोर्ट तैयार कर उस पर दिनांक 08.04.2019 अंकित कर अपने दस्तखत किये थे तथा मौका रिपोर्ट तैयार के लिये मौके पर उपस्थित रहने बाबत् मुझ प्रत्यर्थी संख्या 2 को भी कोई लिखित सूचना नहीं दी थी। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त कार्य अपनी एजेन्सी के कर्मचारी अपीलार्थी द्वारा पूर्व में बनाई गई गलत रिपोर्ट को सही ठहराने एवं इसको बचाने के उद्देश्य से किया गया था इसी वजह से इनके खिलाफ फौजदारी प्रकरण एवं विभागीय कार्यवाही हुई। इस प्रकार द्वितीय मौका रिपोर्ट तैयार करने वाले भू अभिलेख निरीक्षक ने भी अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन न कर खुले तौर पर दुरूपयोग किया था। अपीलार्थी द्वारा दिये गये बिन्दूवार जवाब के खण्डन की कोई आवश्यकता नहीं रही थी, न ही खण्डन आवश्यक था और पत्रावली वल्लभनगर स्थानान्तरित भी हो गई हैं। अपीलार्थी के कथनों का खण्डन नही किये जाने की अवस्था में अपीलार्थी के झूठे कथनों को सही नहीं माना जा सकता हैं। अधिनस्थ तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि एवं तथ्यों के अनुसार ही हैं। आराजी नम्बर 432 के सम्बन्ध में जो भी जाँच रिपोर्ट बनाई गई वह पूर्णतया राजनैतिक दबाव एवं प्रभाव में बनाई गई थी जो कि प्रकट रूप से मुझ प्रत्यर्थी को मेरी खातेदारी अधिकार की बहुमुल्य कृषि भूमि से अकारण बेदखल कर नाजायज रूप से नुकसान पहुँचाने एवं जलील परेशान करने के उद्देश्य से ही तैयार की गई थी। मुझ प्रत्यर्थी की ओर से मेरे पुत्र ने इनके खिलाफ पुलिस थाना फतहनगर में इसके सम्बन्ध में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाया गया जिसकी कार्यवाही वर्तमान में पुलिस थाना फतहनगर में विचाराधीन है। अपीलार्थी ने अपने पदीय कर्तव्यों का भली प्रकार से निर्वहन न कर खुले तौर पर दुरूपयोग किया है जो कि उसकी मनगढन्त रिपोर्ट पर दर्ज होकर निर्णित हुवे प्रकरण से स्पष्ट प्रमाणित होता हैं तथा अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जाँच भी विचाराधीन हैं। अपीलार्थी को उक्त मामले के निर्णित होने के वक्त से ही इसका ज्ञान था क्योंकि अपीलार्थी इस निर्णय के बाद करीब दो वर्ष तक वल्लभनगर तहसील

जिला कलक्टर
उदयपुर

में ही कार्यरत रहा है जिससे इस मामले में हुये निर्णय की शुरू से ही सुस्पष्ट जानकारी थी। अपीलार्थी सहित भू अभिलेख निरीक्षक ने इसी बेदखली के मामले को लेकर अपने बयान दर्ज कराये थे। इस प्रकार उक्त आदेश की अपीलार्थी को शुरू से ही प्रकट रूप से जानकारी रही थी और हैं। अपीलार्थी ने प्रकट रूप से राजनैतिक दबाव एवं प्रभाव में आकर अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट तैयार की थी जिसकी पुष्टि तहसीलदार वल्लभनगर ने इस कार्यवाही को अपास्त करके की हैं एवं मूल पत्रावली में हिम्मतसिंह राव व मेरे पुत्र की बातचीत की कॉल रिकोर्डिंग की सी.डी. पेश है जिसका अंकन स्वयं जिला कलेक्टर महोदय ने अपने आदेश में कर रखा हैं। इस प्रकार अपीलार्थी ने अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का खुले रूप से दुरूपयोग किया है तथा अपीलार्थी के इन गलत कार्यों के चलते इसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी विचाराधीन हैं जिससे बचने के उद्देश्य से मनगढन्त कथन कर यह मिथ्या अपील आप न्यायालय की गई हैं। प्रकरण संख्या 1225/2019 ना.क. दिनांक 04.02.2020 को पत्रावली फैसल हो गयी थी जिसकी जानकारी अपीलार्थी एवं भू अभिलेख निरीक्षक हिम्मतसिंह राव, कालूसिंह राव को बखूबी थी। अपीलार्थी की प्रार्थना पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। अपीलार्थी की अपील गलत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से एवं मियाद बाहर होने से सव्यय खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है वह उससे किस प्रकार प्रभावित है यह स्पष्ट नहीं है। यदि अपीलार्थी अपने उच्चाधिकारी द्वारा पारित निर्णय से असंतुष्ट था तो उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त की जा सकती थी। किन्तु प्रकरण राजकीय भूमि से सम्बन्धित होकर राजहित निहित है ऐसी स्थिति में अतिक्रमण के संबंध में वास्तविक स्थिति की जांच किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि वह टीम का गठन कर राजस्व ग्राम खेमपुर तहसील मावली की आराजी संख्या 432 किस्म पाल पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में जांच करे। अतिक्रमण पाये जाने की स्थिति में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दो माह में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार वल्लभनगर को सूचनार्थ एवं तहसीलदार मावली/उपतहसीलदार सनवाड को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर